



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

१८/१९९८

सं. 429]
No. 429]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 31, 1997/कार्तिक 9, 1919
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 1997/KARTIKA 9, 1919

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1997

सा. का. नि. 631(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियों अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम संख्या	उद्योग	पैरामीटर	मानक	विधमान वैट्रियां
“79”	कोक भट्टी संध्रं (उपोत्पाद) उपलब्धि प्रकार	आशुलोप दृश्य उत्सर्जन (क) द्वार से रिसाव (ख) चार्जिंग लिड से रिसाव (ग) ऐ. पी. कवर से रिसाव (घ) चार्जिंग उत्सर्जन (द्वितीय/चार्ज)	5(पी एल डी)* 1(पी एल एल)* 4(पी एल ओ)* 16 (एच पी एल ए सहित)*	10(पी एल डी)* 1(पी एल एल)* 4(पी एल ओ)* 50 (एच पी एल ए सहित)*

कोक भट्टी की चिमरी से उत्सर्जन

(क)	एस ओ ^१ (मि. ग्रा.)/एन एम ^२	800	800
(ख)	एन ओ एक्स (मि.ग्रा./एन एम ^२)	500	500
(ग)	एस पी एम (मि. ग्रा./एन एम ^२)	50	50

(क)	चार्जिंग के दौरान निलंबित कणिकीय पदार्थों का उत्सर्जन (विमर्शी उत्सर्जन) मि. ग्रा./एन एम ³	25	25
(ख)	कोक अपकर्षण के दौरान निलंबित कणिकीय पदार्थों का उत्सर्जन (विमर्शी उत्सर्जन कोक का ग्रा./टन) तापन के लिए प्रयुक्त कोक भट्टी गैस में सल्फर (मि. ग्रा./एन एम ³) शमन प्रचालन के लिए उत्सर्जन कणिकीय पदार्थ उत्पादित कोक का ग्रा./एमटी	5 800 50	5 800 50
	कार्य जोन वायु (यूजी/एम ³) में बैंजो पाइरिन (बी ओ पी) संकेन्द्रण		
	—बैट्टी क्षेत्र (बैट्टी टॉप)	5	5
	—कोक भट्टी संर्थक में अन्य एकक	2	2
	—परिवेशी मानक (एन जी/एम ³)	10	10
	—उत्सर्जनों के नियंत्रण के लिए और कार्य जोन क्षेत्र में पर्यावरणीय क्षालिटी बनाए रखने के लिए निम्नलिखित मार्ग दर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा, अर्थात् :—		
(i)	नई कोक भट्टी एक के न्यून-उत्सर्जन प्रक्रियाओं में से किसी एक का पालन करेंगी जैसे, कोक शुष्क शीतल, अनुपलब्धि कोक भट्टीयां, अप्रत्यक्ष शमन प्रक्रिया, जम्बो कोक भट्टी रिएक्टर, उपांतरित आर्द्ध शमन प्रणाली जिनमें उपायुक्त पर्यावरण नियंत्रक (उदाहरणार्थ छावरोधक, फिलटरकारी मीडिया, शमन टावर और पुनःचक्रण से उत्पन्न अपशिष्ट जल का संग्रहण और शोधन, प्रसंस्कृत जल का प्रयोग करें क्योंकि शमन जल अनुमेय नहीं होगा) लगे हों।		
(ii)	कोक चार्जिंग तथा कोक अपकर्षण उत्सर्जनों को कम करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण के कारगर उपाय किए जाएंगे (उदाहरणार्थ भट्टी के द्वारा तथा फ्रेम सीलों, आरोहण पाइपों, चार्जिंग छिप्रों तथा छक्कनों और अन्य उपस्कर्तों का व्यापक रखरखाव और सफाई, ऑन-मेन चार्जिंग प्रणाली (एच. पी. एल. ए.), मृतिका-निलंबन के साथ ल्यूटिंग चार्जिंग छिप्र, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली आदि के साथ उपांतरित मार्गदर्शक/अंतरणकार)। की साथिका अपसारी होगी।		
(iii)	आर्द्ध शमन के साथ विद्यमान कोक भट्टीयों के मापदण्ड में उपयुक्त (i) तथा (ii) में उल्लिखित नई प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा और चार वर्ष के अंदर (2001 तक) उत्सर्जन मानकों को प्राप्त किया जाएगा।		

पृष्ठा : इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् स्थापित एककों को नई एकक माना जाएगा।

एचपीएलए—गूजनेक में उच्च दाढ़ वाले सरल के अन्तः क्षेत्र प्रतिशत

पीएलडी— द्वारों से रिसाव प्रतिशत

पीएलएल— छक्कनों से रिसाव प्रतिशत

पीएलओ— निकास-नसियों से रिसाव प्रतिशत

[फा. सं. क्यू 15018/9/97-सी. पी. डब्ल्यू]

डॉ. जी. के. पांडे, निदेशक

पृष्ठा : भारत के राजपत्र में दिनांक 19 नवंबर, 1986 के का. आ. 844 (ई) के तहत प्रधान नियम प्रकाशित किये गये थे और बाद में दिनांक 18 अप्रैल, 1987 के का. आ. 433 (ई), दिनांक 18 जनवरी, 1988 के का. आ. 64(ई) दिनांक 3 जनवरी, 1989 के का. आ. 8(ई), दिनांक 15 मार्च, 1989 के का. आ. 190(ई), दिनांक 24 अक्टूबर, 1989 के सा. का. नि. 913(ई), दिनांक 8 जनवरी, 1990 के का. आ. 12(ई), दिनांक 30 अगस्त, 1990 के सा. का. नि. 742(ई), दिनांक 16 जनवरी, 1991 के का. आ. 23(ई), दिनांक 21 फरवरी, 1991 के सा. का. नि. 93(ई), दिनांक 12 फरवरी, 1992 के सा. का. नि. 95(ई), दिनांक 13 मार्च, 1992 के सा. का. नि. 329(ई), दिनांक 5 मई, 1992 के सा. का. नि. 475 (ई), दिनांक 1 अक्टूबर, 1992 के सा. का. नि. 797(ई), दिनांक 28 अप्रैल, 1993 के सा. का. नि. 386(ई), दिनांक 19 मई, 1993 के सा. का. नि. 422(ई), दिनांक 31 दिसंबर, 1993 के सा. का. नि. 801(ई) तथा 3 अप्रैल, 1996 के सा. का. नि. 176(ई) के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1997

G.S.R. 631(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

- (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Amendment) Rules, 1997.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, after serial number 78 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standards	
			New Batteries	Existing Batteries
"79. Coke oven plants (by product recovery type)	Fugitive Visible Emissions			
	(a) Leakage from door	5(PLD)*	10(PLD)*	
	(b) Leakage from charging lids	1(PLL)*	1(PLL)*	
	(c) Leakage from AP Covers	4(PLO)*	4(PLO)*	
	(d) Charging emission (second/charge)	16	50	
		(with HPLA)*	(with HPLA)*	
	Stack Emission of Coke Oven			
	(a) SO ₂ (mg/Nm ³)	800	800	
	(b) NOx, (mg/Nm ³)	500	500	
	(c) SPM, (mg/Nm ³)	50	50	
	(a) SPM emission during charging (stack emission) mg/Nm ³	25	25	
	(b) SPM emission during coke pushing (stack emission) gm/ton of coke	5	5	
	Sulphur in Coke Oven gas used for heating (mg/Nm ³)	800	800	
	Emission for quenching operation			
	Particulate matter gm/MT of coke produced	50	50	
	Benzo-Pyrene (BOP) concentration in work zone air (ug/m ³)			
	—Battery area (top of the battery)	5	5	
	—Other units in coke oven plant	2	2	
	—Ambient standards (ng/m ³)	10	10	

— For control of emissions and to maintain environmental quality in work zone area, the following guidelines shall be followed, namely :—

- New coke oven units shall follow any of the low-emission procedures, such as, coke dry cooling, non-recovery coke-ovens. Indirect Quenching Process, Jumbo coke oven reactor, Modified Wet Quenching System with appropriate environmental controls (e.g. baffles, filtering media, collection and treatment of residual water from quench tower and recycling; Use of process water as quenching water shall not be permissible).
- Effective pollution control measures (for e. g. Extensive maintenance and cleaning of oven doors and frame seals, ascension pipes, charging holes and lids and other equipment; On-main charging system (HPLA); Luting charging holes with clay-suspension; Modified guide/transfer car with emission control system etc.) shall be taken to reduce coal charging and coke pushing emissions. The bleeder of the coke oven shall be flared.
- In the case of existing coke ovens with wet quenching, the new procedures as in (i) and (ii) shall be adopted and emission standards achieved within four years (by 2001).

Note : Units set up after the publication of this notification shall be treated as new units.

*HPLA — Aspiration through high pressure liquor injection in goose neck.

*PLD — Per cent leaking doors.

*PLL — Per cent leaking lids.

*PLO — Per cent leaking offtakes".

Note :— The principal rules were published in Gazette of India vide number S.O. 844(E) dated the 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433(E) dated the 18th April, 1987, S.O. 64(E), dated the 18th January, 1988, S.O. 8(E), dated the 3rd January, 1989 S.O. 190(E), dated the 15th March, 1989, G.S.R. 913(E), dated the 24th October, 1989, S.O. 12(E), dated the 8th January, 1990, G.S.R. 742(E), dated the 30th August, 1990, S.O. 23(E), dated the 16th January, 1991, G.S.R. 93(E), dated the 21st February, 1991, G.S.R. 95(E) dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329(E), dated the 13th March, 1992, G.S.R. 475(E), dated the 5th May, 1992, G.S.R. 797(E), dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386(E), dated the 28th April, 1993, G.S.R. 422(E), dated the 19th May, 1993, G.S.R. 801(E), dated the 31st December, 1993 and G.S.R. 176(E), dated the 3rd April, 1996.